न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–70 / 2019

वाद प्रस्तुति दिनांक–26.06.2019

उनवान

जगदीश पुत्र मोहरिया जाति–गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू

(वादी)

बनाम

1. रामसहाय पुत्र हरजी जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
2. गोपाल पुत्र हरजी जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
3. तीजा पुत्री हरजी जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
4. अनोक पुत्री हरजी जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
5. कमला पुत्री हरजी जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
6. रामलाल पुत्र झीत्या जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
7. रतन पुत्र झीत्या जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
8. श्योजी पुत्र झीत्या जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
9. मोहन पुत्र झीत्या जाति गुर्जर , निवासी ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी , तहसील पीपलू
10. बैक ऑफ बड़ौदा शाखा, पीपलू
11. तहसीलदार, पीपलू

(प्रतिवादीगण)

अधिवक्ता वादीः–श्री चतुर्भुज गुर्जर

दिनांकः–01.07.2019

अधिवक्ता प्रतिवादीः–श्री राधाकिशन गुर्जर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

दावा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 92–ए , 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 27 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 57 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 66 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 71 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 147 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 150 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 160 रकबा 08 बिस्वा, ख0न0 161 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 163 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 164 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 167 रकबा 01 बीघा, ख0न0 173 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 180 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 205 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, ख0न0 217 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 218 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 221 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 222 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 252 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 254 रकबा 07 बिस्वा, ख0न0 307 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 313 रकबा 04 बीघा, ख0न0 419 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 424 रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 438 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 25 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी, तहसील पीपलू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गन्ना के चार पुत्र मोहरिया, ऊंकार, रघुनाथ, झीता, थे। जिनमें रघुनाथ पहले ही लाओलाद फोत हो गया था तथा उसके बाद मोहरिया का स्वर्गवास हो गया था। मोहरिया के उस समय वयस्क पुत्र हरजी था। इस कारण उक्त आराजियात हरजी पुत्र मोहरिया, ऊंकार , झीता पिता गन्ना के नाम 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के रूप में दर्ज हुई। जिसका अंकन सम्वत 2019 की जमाबन्दी तथा संवत 2028–2047 की जमाबन्दी में नाम अंकित हो गया। उसके बाद उंकार पुत्र गन्ना के फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से की आराजीयात का नामान्तकरण भरा गया। उसमें 1/6 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता के नाम 1/6 हिस्से का नामान्तकरण भरा गया। शैष हिस्सा 01/6 प्रतिवादी संख्या 06 ता 09 के नाम भरा गया। इस प्रकार वादी के पिता मोहरिया का 1/3 हिस्सा था। उसके आधे हिस्से अर्थात 1/6 हिस्से की भूमि एवं उंकार के नाऔलाद फौत होने पर प्राप्त हिस्सा 1/12 हिस्से की भूमि पर मौके पर अपने पिता मोहरिया के जीवनकाल से बहैसियत मालिक स्वामी के काबिज चला आ रहा हैं। इसलिए वादी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात के 1/4 हिस्से का तन्हा खातेदार , काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण न0 01 ता 05 व 06 ता 09 की तरफ से अधिवक्ता श्री राधाकिशन गुर्जर ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की तरफ से इकबाली जवाबदावा मय राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति दी। वादी ने अपने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य, जमाबन्दी की प्रतियॉ प्रस्तुत की। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज ,इकबाली जवाबदावा, राजीनामें व अधिवक्ता बहस पर मनन किया। प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन कर वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि आराजी ख0न0 27 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 57 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 66 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 71 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 147 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 150 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 160 रकबा 08 बिस्वा, ख0न0 161 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 163 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 164 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 167 रकबा 01 बीघा, ख0न0 173 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 180 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 205 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, ख0न0 217 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 218 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 221 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 222 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 252 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 254 रकबा 07 बिस्वा, ख0न0 307 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 313 रकबा 04 बीघा, ख0न0 419 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 424 रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 438 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 25 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम मोहम्मदनगर ढ़ाणी, तहसील पीपलू के 1/4 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी न0 01 ता 05 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं शैष प्रतिवादीगण 06 ता 09 के हिस्सों का अंकन बदस्तुर जमाबन्दी अनुसार रहेगा। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)